डॉक्टरल एवं पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृति
राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत
(एनटीएस-आई)
भारतीय भाषा संस्थान
मानसगंगोत्री,हुणसूर रोड,मैसूर

नियम एवं शर्तें
<u>शुद्धिपत्र</u>

अध्येतावृति की राशि और अवधि

डॉक्टोरल अध्येतावृति	पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृति
20,000/- रुपये प्रति माह (शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी भी संशोधन के अधीन) शुरू में 3 साल की अवधि के लिए और योग्य मामलों में सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर इसे एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	30,000/- रुपये प्रति माह (शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी भी संशोधन के अधीन) प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए और योग्य मामलों में सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर इसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
अन्य संबंधित खर्च जैसे, क्षेत्र अध्ययन/डेटा संग्रह, उपकरणों की खरीद, स्टेशनरी, किताबें, जर्नल आदि को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 20,000/- रुपये आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।	अन्य संबंधित खर्च जैसे, क्षेत्र अध्ययन/डेटा संग्रह, उपकरणों की खरीद, स्टेशनरी, किताबें, पत्रिकाओं आदि को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 30,000/- रुपये आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

पात्रता

डॉक्टोरल अध्येतावृति हेतु

1. यूजीसी/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भारतीय भाषा एवं साहित्य, अंग्रेजी भाषा, शिक्षा और भाषाविज्ञान, या निकट संबद्ध विषयों में पूर्णकालिक पीएच.डी कार्यक्रम में पंजीकृत उम्मीदवार अध्येतावृति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

2. जो आवेदक अपनी पीएच.डी. अभ्यर्थिता के पहले या दूसरे वर्ष में हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पीएच.डी शोध राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत के

लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप होगा। आवेदकों को अपने संबंधित संस्थानों में अपने अंतिम शोध प्रस्ताव जमा करने से पहले एनटीएस-आई, सीआईआईएल के अधिकारियों के साथ अपने पीएच.डी शोध विषय/थीम/क्षेत्र के बारे में परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र शैक्षिक परीक्षण और मूल्यांकन, भाषा परीक्षण और मूल्यांकन, भारतीय भाषाओं में भाषायी कौशल (LSRW), भाषा शिक्षा, ऑनलाइन भाषा शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार, साक्षरता, भाषा या शिक्षा नीति, एनईपी-2020, मातृभाषा शिक्षा, भाषा शिक्षण-अधिगम, भाषा शिक्षाशास्त्र, पाठ्चर्या विकास, उपयोग में आने वाली भाषा, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा, शैक्षिक मनोविज्ञान, अल्प-संसाधन वाली भाषा कक्षा, भाषा और संस्कृति आदि या भारतीय भाषाओं/मातृ भाषाओं के लिए भाषा शिक्षा/संस्कृति आदि से संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप कई अन्य विषय होंगे।

4.अध्येतावृति के रूप में 20,000/-(बीस हजार रुपये) प्रति माह का भुगतान होगा। इसके अलावा 20,000/-(बीस हजार रुपये) प्रति वर्ष की दर से आकस्मिक अनुदान 3 साल की अवधि के लिए देय होगा जिसे विशेष परिस्थितियों में एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5. डॉक्टरल अध्येतावृति के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी की आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग या दिव्यंगता वाले अभ्यर्थी को आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना का एक मात्र आधार एसएससी/10वीं प्रमाण पत्र होगा।

6. उम्मीदवार को स्नातक में न्यूनतम 55% अंक और स्नातकोत्तर या समकक्ष ग्रेड में 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। आवेदन के समय एमए/एमफिल तक के प्रमाणपत्र/अंक पत्र/डिग्री की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य है।

7. आवेदनों की जांच के समय संबंधित विषय में गेट/नेट/स्लेट और एमफ़िल के स्कोर/प्रमाणपत्र के लिए अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। हालाँकि गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल योग्यता अनिवार्य नहीं है, अतिरिक्त अंक अर्जित करने के लिए गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल स्कोर/प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

8. जो आवेदक पहले से ही यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) / राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप (आरजीएनएफ) / मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (एमएएनएफ) / आईसीएसएसआर / आईसीएआर / सीएसआईआर / आईसीपीआर / आईसीएमआर / आईसीएचआर, या ऐसी कोई राष्ट्रीय फेलोशिप / प्रायोजन प्राप्त कर रहे हैं वे आवेदन करने के योग्य नहीं हैं ।

9. यह फ़ेलोशिप पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य के लिए होगी और इसे किसी अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

10. फेलोशिप पीएच.डी थीसिस (जिसके लिए फेलोशिप प्रदान की गई) जमा करने के दो महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी ।

11. अध्येता को निष्पादित किए गए कार्य की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सभी रिपोर्टों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। यदि किसी अध्येता द्वारा किया गया शोध किसी भी समय असंतोषजनक पाया जाता है तो फेलोशिप बंद कर दी जा सकती है । यदि किसी अध्येता द्वारा किया गया शोध असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे दी गई फ़ेलोशिप की राशि उससे वसूल की जाएगी।

12. यदि अध्येता अपनी फेलोशिप की अवधि के दौरान निर्धारित समय के भीतर अपने मोनोग्राफ/पुस्तकें/थीसिस जमा नहीं करता है, तो फेलोशिप और आकस्मिक निधि की अंतिम किस्त (यानी पिछले छह महीनों की) रोक दी जाएगी । पांडुलिपि के प्रकाशन के समय एनटीएस-आई की फैलोशिप के लिए उचित श्रेय दिया जाना चाहिए।

13. फेलोशिप धारकों को अपने शोध कार्य/विषय/क्षेत्र/अध्ययन के अनुशासन में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन विधियों के बारे में अपनी थीसिस/शोध प्रबंध में एक अध्याय/उप-अध्याय शामिल करना होगा। इसके लिए आवेदन के साथ एक घोषणा संलग्न होनी चाहिए जिसमें बताया गया हो कि उनका शोध कार्य एनटीएस-आई के उद्देश्यों की पूर्ति में कैसे योगदान देगा।

14. संपूर्ण थीसिस/शोध प्रबंध की 2 प्रतियां दो या तीन भाषाओं में एनटीएस-आई को जमा करनी होंगी। उदाहरण के लिए, यदि थीसिस अंग्रेजी में है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए, या इसके विपरीत क्रम में। यदि यह किसी अन्य भारतीय भाषा में है तो इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। अनुसार अनुवाद/बाइंडिंग का शुल्क एनटीएस-आई/सीआईआईएल द्वारा निर्धारित दर के वहन किया जा सकता है।

पात्रता:

पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप

1. यूजीसी/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भारतीय भाषा एवं साहित्य, अंग्रेजी भाषा, शिक्षा और भाषाविज्ञान, या निकट संबद्ध विषयों में पूर्णकालिक पोस्ट-डॉक्टरल कार्यक्रम में पंजीकृत उम्मीदवार अध्येतावृति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।

2. उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पोस्ट-डॉक्टोरल शोध राष्ट्रीय परीक्षण सेवा-भारत के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है । आवेदकों को अपने संबंधित संस्थानों में अपना अंतिम शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एनटीएस-आई, सीआईआईएल के अधिकारियों के साथ अपने शोध विषय/थीम/क्षेत्र के बारे में परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र शैक्षिक परीक्षण और मूल्यांकन, भाषा परीक्षण और मूल्यांकन, भारतीय भाषाओं में भाषायी कौशल, भाषा शिक्षा, ऑनलाइन भाषा शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार, साक्षरता, भाषा या शिक्षा नीति, एनईपी-2020, मातृभाषा शिक्षा, भाषा शिक्षण-अधिगम, भाषा शिक्षाशास्त्र, पाठचर्या विकास, उपयोग में आने वाली भाषा, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा, शैक्षिक मनोविज्ञान, अल्प-संसाधन वाली भाषा कक्षा, भाषा और संस्कृति आदि या भारत सरकार की संबंधित योजनाओं के अनुरूप भारतीय भाषाओं/मातृभाषाओं के लिए भाषा शिक्षा/संस्कृति आदि के क्षेत्र में होगा।

4. अध्येतावृति 30,000/-(तीस हजार रुपये) प्रति माह दी जाएगी और अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए 30,000/- रुपये (तीस हजार रुपये) प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान की राशि भी देय होगी।

5. पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलोशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। 10वीं/एसएससी प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि आवेदक की उम्र की गणना का एकमात्र आधार होगी।

6. उम्मीदवार के पास पीयर रिव्यूड/यूजीसी केयर/स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स में न्यूनतम चार प्रकाशनों के साथ यूजीसी मानदंडों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी की उपाधि होनी चाहिए । चार में से दो विस्तृत जर्नल पेपर होने चाहिए जो पीएच.डी के दौरान किए गए शोध से सीधे तौर पर प्रासंगिक हों।

7. उम्मीदवार को स्नातक में न्यूनतम 55% अंक और स्नातकोत्तर या समकक्ष ग्रेड में 55% अंक प्राप्त करने चाहिए। आवेदन के समय एमए/एमफिल/पीएच.डी तक के प्रमाणपत्र/अंक पत्र/डिग्री की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य है ।

8. संबंधित विषय में गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल का स्कोर/प्रमाणपत्र के लिए आवेदनों की जांच में अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे। हालाँकि गेट/नेट/स्लेट/एमफ़िल योग्यता अनिवार्य नहीं है, अतिरिक्त अंक प्राप्त करने के लिए गेट/नेट/स्लेट स्कोर/प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

9. जिन आवेदकों को पहले से ही कोई पोस्टडॉक्टोरल फ़ेलोशिप/प्रायोजन प्राप्त हो चुका है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

10. यह अध्येतावृति पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य के लिए होगी और इसे किसी अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

11. अध्येतावृति पोस्ट-डॉक्टरल शोध-प्रबंध (जिसके लिए फेलोशिप प्रदान की गई) जमा करने के दो महीने बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी।

12. शोधार्थी को किए गए कार्य की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सभी रिपोर्टों का मूल्यांकन एनटीएस/सीआईआईएल के विशेषज्ञों/प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यदि किसी शोधार्थी द्वारा किया गया शोध किसी भी समय असंतोषजनक पाया जाता है तो अध्येतावृति बंद की जा सकती है । यदि किसी अध्येता द्वारा किया गया शोध असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे दी गई अध्येतावृति की राशि वसूल की जाएगी।

13. यदि शोधार्थी अध्येतावृति की अवधि के दौरान निर्धारित समय के भीतर अपने मोनोग्राफ/पुस्तकें/ शोध प्रबंध जमा नहीं करता है, तो उसकी अंतिम किस्त, यानी अध्येतावृति की अंतिम छह महीने की किस्त और आकस्मिकता धनराशि रोक दी जाएगी। पांडुलिपि के प्रकाशन के समय एनटीएस-आई की अध्येतावृति के लिए उचित श्रेय दिया जाना चाहिए।

14.अध्येतावृति धारकों को अपने शोध कार्य/विषय/क्षेत्र/अध्ययन के अनुशासन में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन विधियों के बारे में अपनी शोध प्रबंध/शोध निबंध में एक अध्याय/उप-अध्याय शामिल करना होगा। इसके लिए, आवेदन के साथ एक घोषणापत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें बताया गया हो कि उनका शोध कार्य एनटीएस-आई के उद्देश्यों की पूर्ति में कैसे योगदान देगा।

15.संपूर्ण शोध प्रबंध/शोध निबंध की दो प्रतियां दो या तीन भाषाओं में एनटीएस-आई को प्रस्तुत करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि यह अंग्रेजी में है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए या इसके विपरीत क्रम में होना चाहिए। यदि यह अन्य भारतीय भाषाओं में है तो इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। एनटीएस-आई सीआईआईएल द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अनुवाद का शुल्क वहन किया जाएगा।

छुट्टी की स्वीकृति

i. डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टरल दोनों अभ्यर्थी सार्वजनिक छुट्टियों के अतिरिक्त एक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी के हकदार होंगे। वे किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के पात्र नहीं होंगे।

ii. महिला अध्येता अध्येतावृत्ति के पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार 3 महीने के मातृत्व अवकाश के दौरान अध्येतावृत्ति की राशि पाने के लिए पात्र होंगी । वैध चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार पुरुष अध्येताओं को अध्येतावृत्ति के पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार वैध चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

iii. किसी विशेष स्थिति में, जैसा कि उचित माध्यम से पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो और एनटीएस-आई/सीआईआईएल के अधिकारियों द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तो अध्येतावृत्ति के बिना अतिरिक्त छुट्टी की अनुमति दी जाएगी लेकिन यह अधिकतम 2 महीने के अवधि तक सीमित रहेगी। अध्येतावृत्ति के पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार इसकी अनुमति दी जाएगी । ऐसी किसी भी छुट्टी की मांग करते

समय अभ्यर्थियों को एनटीएस-इंडिया के सक्षम पदाधिकारियों के अनुमोदन हेतु सहायक दस्तावेजों (जैसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र, नियुक्ति पत्र) सहित उचित माध्यम से पहले ही आवेदन करना होगा ।

iv. अध्येता की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट संबंधित विभाग को जमा करनी होगी।

नोट – संबंधित शोध निर्देशकों / पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि वे एनटीएस-आई को सूचित करें कि उनके द्वारा मार्गदर्शित शोधार्थी ने उपरोक्त अनुच्छेद (i) से (iv) के तहत छुट्टी की अनुमति के अतिरिक्त असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन किया है ।

आवेदन की प्रक्रिया

- अभ्यर्थियों को अपने विस्तृत शोध प्रस्ताव, अनुसंसा पत्रों, पूर्व योग्यताओं और अनुभवों के प्रमाण पत्रों, प्रकाशनों की सूची और विस्तृत जीवनवृत्त के साथ एक ऑनलाईन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन/जीवन-वृत्त और ऐसे सभी दस्तावेज अंग्रेजी में प्रस्तुत होने चाहिए।
- आवेदन की जाँच एनटीएस-आई/सीआईआईएल में निर्दिष्ट समूह द्वारा की जाएगी।
- चयनित सूची के अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- योग्य अभ्यर्थियों की सूची एनटीएस-आई/सीआईआईएल के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- चयनित व सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से एनटीएस-आई को रिपोर्ट करना होगा।
- अध्येतावृत्ति के प्रारंभ एवं इसकी निरंतरता की प्रभावी तिथि एनटीएस-आई/सीआईआईएल के अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी।

अध्येतावृत्ति प्रदान करने और जारी रखने की प्रक्रिया

- डॉक्टरल / पोस्ट डॉक्टरल स्तर पर शोध करने के लिए पंजीकरण की पुष्टि।
- विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति रिपोर्ट समय पर जमा करना (प्रत्येक माह)।
- विधिवत हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट (प्रत्येक तिमाही) समय पर प्रस्तुत करना। प्रत्येक तिमाही में कार्य की प्रगति रिपोर्ट पर्यवेक्षक शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और कुलसचिव अथवा उप-कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के ऐसे प्रमाणीकरण के लिए कुलसचिव (शैक्षणिक) या संबंधित को नामित किया गया हो।

- पीयर रिव्यूड/यूजीसी केयर/स्कोपस इंडेक्स में शोध से संबंधित न्यूनतम एक प्रासंगिक पत्रिका में प्रकाशन और किसी भी एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में एक प्रस्तुति दी गई हो। अध्येतावृत्ति की कार्य-अवधि के दौरान सभी प्रकाशन एनटीएस-आई की पूर्व सूचना और अनुमति से किए जाएंगे।

सामान्य नियम एवं शर्ते

- आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बनाए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता/ करती है ।
- अभ्यर्थियों को शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा के साथ उचित माध्यम से अपने आवेदन जमा करने होंगे।
- डॉक्टरल अध्येतावृत्ति धारकों को एक वर्ष में न्यूनतम 60 कार्य दिवसों की अवधि के लिए कार्य/शैक्षणिक कार्य के लिए एनटीएस-आई कार्यालय में स्वयं को उपलब्ध कराना होगा, जबकि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप धारकों को स्वयं को कार्य/शैक्षणिक कार्य के लिए 90 दिनों तक एनटीएस कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। इस अवधि के दौरान अध्येता को थर्ड एसी वापसी किराया और मुफ्त छात्रावास प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक कार्य/समनुदेशन का समय और इसकी प्रकृति एनटीएस-आई/सीआईआईएल के सक्षम अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी।
- अध्येताओं को पियर रिव्यूड/यूजीसी-केयर/स्कोपस इंडेक्स्ड आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेषकर एनटीएस-आई के अधिकारियों/सदस्यों के संयुक्त सहयोग से। अध्येतावृत्ति कार्यकाल के दौरान सभी प्रकाशन एनटीएस–आई की पूर्व सूचना एवं अनुमति से होना चाहिए।

प्रगति की निगरानी

- उम्मीदवारों के प्रदर्शन (डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलोशिप दोनों) की निगरानी एनटीएस-आई / सीआईआईएल में नियमित रूप से की जाएगी।
- उम्मीदवारों को एनटीएस-इंडिया द्वारा दी गई फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान किसी भी भुगतान या अवैतनिक पद को स्वीकार करने या रखने या अन्य स्रोतों से परिलब्धियां / वेतन या वजीफा आदि प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- फ़ेलोशिप अभ्यर्थी के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, यदि अभ्यर्थी के द्वारा :

  क) शोध शुरू करने के बाद पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाई गई है।

  ख) एनटीएस, सीआईआईएल या सरकार के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि में शामिल पाया गया।

ग) एनटीएस फ़ेलोशिप के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

घ) फेलोशिप के वास्तविक कार्यकाल के बाद कोई भी अतिरिक्त दावा अवैध माना जाएगा और ऐसे मामले में उम्मीदवार अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ङ) **एनटीएस सीआईआईएल के बजट के संबंधित मद में धन की कमी के कारण/भी फेलोशिप बंद की जा सकती है।**

❖ **आकस्मिक अनुदान का उपयोग**

i. 20,000/- (डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए) और रु. 30,000/- (पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए) प्रति वर्ष दो किश्तों में देय है।

ii. अनुदान का उपयोग पर्यवेक्षक और एनटीएस-भारत के प्रमुख के अनुमोदन से निम्नलिखित मदों के लिए किया जा सकता है:

(क) अनुमोदित शोध के लिए आवश्यक पुस्तकों, स्टेशनरी की खरीद, सम्मेलन/कार्यशाला में पंजीकरण शुल्क, किसी शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए यात्रा/क्षेत्र कार्य व्यय आदि।

(ख) ज़ेरॉक्सिंग, टाइपिंग (थीसिस सहित), स्टेशनरी, डाक और लिपिकीय या अन्य सहायता की लागत।

(हालांकि, कुल आकस्मिक अनुदान का अधिकतम 30% ही ज़ेरॉक्सिंग, टाइपिंग (थीसिस सहित), स्टेशनरी, डाक और लिपिकीय या इसी तरह की सहायता के लिए खर्च किया जा सकता है)।

(ग) आकस्मिक अनुदान प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए सभी बिल/रसीदें मूल रूप में एनटीएस-आई/सीआईआईएल को जमा की जाएंगी। केवल वे बिल/रसीदें एनटीएस-आई/सीआईआईएल द्वारा मानदंडों के अनुसार स्वीकार की जाएंगी जो वैध और कानून सम्मत हैं ।

iii. छात्रवृत्ति की समाप्ति पर, आकस्मिक अनुदान से खरीदे गए उपकरण और अन्य गैर-उपभोज्य वस्तुएं एनटीएस-आई/सीआईआईएल की संपत्ति बन जाएंगी । आकस्मिक अनुदान का उद्देश्य विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा फर्नीचर, अन्य वस्तुओं पर व्यय और परीक्षा या अन्य शुल्क का भुगतान करना नहीं है।

iv. आकस्मिक अनुदान से होने वाले सभी व्ययों के लिए पर्यवेक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा कि उपगत व्यय अनुमोदित शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है।

v. अनुमोदित शोध कार्य के संबंध में किसी शोध छात्र द्वारा किए गए क्षेत्रीय कार्य/यात्रा के लिए यात्रा व्यय स्वीकार्य होगा ।

ध्यान दें: शोधकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पूर्व-प्राप्त बिल की प्राप्ति पर, शोधकर्ता को फ़ेलोशिप की राशि जारी की जाएगी जिसकी एक प्रति सीधे पर्यवेक्षक/उचित पदधिकारी को भेजी जाएगी।